



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना नगीना

दिनांक 28.09.2025

**थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 187/25 धारा 61(2)(a)/69/351(3) व धारा 3/4
पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.09.2025 को वादिया द्वारा थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्त मौ0 आरिफ पुत्र नादिर निवासी ग्राम अतरासी कलां, रजबपुर जनपद अमरोहा द्वारा उसकी पुत्री को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम कर उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना ली, जिसमें अभियुक्त मौ0 आरिफ के साथी कादिर ने उसका सहयोग किया गया।



इस संबंध में वादिया की तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 187/25 धारा 61(2)(a)/69/351(3) व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 28.09.2025 को थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल फारुख निवासी मौ0 खुर्रमअली सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल फारुख निवासी मौ0 खुर्रमअली सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.का0 2540 प्रेमचन्द थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 3.का01886 अमित थाना नगीना जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना चांदपुर

दिनांक 28.09.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 37/25 धारा 64(1)/352/351(3) BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.01.2025 को वादिया द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र महीपाल सिंह नि0 मौहल्ला गाँधी नगर धनोरा जनपद अमरोहा के द्वारा उसकी बहन को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया तथा उसके द्वारा फोन करने पर अभियुक्त दीपक व उसकी बहन द्वारा गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी गयी । इस सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 37/25 धारा 64(1)/352/351(3) BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 28.09.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र महीपाल सिंह नि0 मौहल्ला गाँधी नगर धनोरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दीपक कुमार पुत्र महीपाल सिंह नि0 मौहल्ला गाँधी नगर धनोरा जनपद अमरोहा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री ब्रिजेश कुमार शर्मा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.आरक्षी 585 सौरभ पवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना स्योहारा

दिनांक 28.09.2025

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 385/25 धारा 109(1)/351(3)/3(5)/115(2)/61(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.09.2025 को वादिया कैशो देवी पत्नी समरपाल सिंह निवासी ग्राम श्यामाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि आज दिनांक 25.09.2025 को वादिया के पति समरपाल को घर से गांव के ही 1.लक्की पुत्र महावीर सिंह 2.आकाश पुत्र रतीराम सिंह किसी बहाने से बाइक पर बैठाकर स्योहारा ले गये, जहां शराब पीने के बाद पुरानी रंजीश को लेकर अभियुक्तगण लक्की व आकाश उपरोक्त ने गांव के अपने अन्य साथियों 3.राजन पुत्र महावीर तथा 4.सोहित उर्फ चांद पुत्र रामकुमार के साथ मिलकर उसके पति समरपाल के साथ मारपीट की गयी तथा अभियुक्त लक्की ने उसके पति समरपाल के ऊपर जान से मारने की नीयत से वार किये गये तथा जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गये। घटना में समरपाल उपरोक्त गम्भीर रूप से घायल हो गया।



इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 385/25 धारा 109(1)/351(3)/3(5)/115(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 28.09.2025 को उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त लक्की पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम श्यामाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

लक्की पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम श्यामाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 297 नीटू राणा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.का0 1613 रचित थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना धामपुर

दिनांक 28.09.2025

**थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 372/2025 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित
वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त कम्बल सहित किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.09.2025 को वादी छोटे लाल पुत्र घसीटा निवासी मौहल्ला पहाडी दरवाजा मनिहारी सराय थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त रवि कुमार पुत्र स्व0 सुरेश निवासी मौ0 पहाडी दरवाजा मनिहारी सराय थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा उसके भतीजे मोनू को मार दिया । इस सम्बन्ध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 372/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 28.09.2025 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त रवि पुत्र स्व0 सुरेश निवासी मौहल्ला पहाडी दरवाजा मनिहारी सराय थाना धामपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त कम्बल सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

रवि पुत्र स्व0 सुरेश निवासी मौहल्ला पहाडी दरवाजा मनिहारी सराय थाना धामपुर जिला बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक कम्बल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 श्री ब्रहमपाल गिरी थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 देवेन्द्र राठी थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 12 अजपाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 4.का0 2574 अमन कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना चांदपुर**

दिनांक 28.09.2025

**थाना चांदपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 554 / 25 धारा
70(1) / 123 / 115(2) / 352 / 351(3) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गया
गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 27.09.2025 को वादिया ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्ता 1.खुशबू चौधरी पत्नी मुरसलीन निवासी ग्राम खेडकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा षडयंत्र करके वादिया को नींद की गोली खिलाई व अभियुक्त 2.मुरसलीन पुत्र सलाऊद्दीन निवासी ग्राम खेडकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने वादिया के साथ गलत काम किया। अभियुक्ता खुशबू द्वारा अभियुक्तगण 3.रौनक 4.शबनम निवासीगण स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के साथ आकर वादिया के बच्चों को लेने का प्रयास किया विरोध करने पर अभियुक्तगण द्वारा वादिया के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 554 / 25 धारा 123 / 64(1) / 115(2) / 352 / 351(3) / 61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 64(1) / 61(2) बीएनएस का लोप कर धारा 70(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।



कार्यवाही—

आज दिनांक 28.09.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.खुशबू चौधरी पत्नी मुरसलीन निवासी ग्राम खेडकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2.मुरसलीन पुत्र सलाऊद्दीन निवासी ग्राम खेडकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

- 1.खुशबू चौधरी पत्नी मुरसलीन निवासी ग्राम खेडकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.मुरसलीन पुत्र सलाऊद्दीन निवासी ग्राम खेडकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. म0उ0नि0 अल्पना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी 895 रणजीत मलिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

4. महिला आरक्षी 2418 प्रियंका थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
5. आरक्षी 1095 गजेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना कोतवाली शहर **दिनांक 28.09.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम) पर मा0 मुख्यमंत्री जी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 28.09.2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम) पर अभियुक्त शारिक पुत्र फुरकान निवासी ग्राम पेदा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा अपनी इंस्टाग्राम आईडी से मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 के फोटो को आपत्तिजनक तरीके से एडिट कर पोस्ट की गयी। उक्त पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 830/2025 धारा 353(1)सी/353(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 28.09.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त शारिक पुत्र फुरकान निवासी ग्राम पेदा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. शारिक पुत्र फुरकान निवासी ग्राम पेदा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 छविनाथ, थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 850 नीरज, थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 27.09.2025

थाना नगीना पर 31 वाहनो (एमवी एक्ट/लावारिस) वाहनों की नीलामी कुल 106000/- रुपये (एक लाख छः हजार रुपये) में किये जाने के संबंध में ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 27.09.2025 को मा० न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी नगीना व क्षेत्राधिकारी नगीना की मौजूदगी में थाना नगीना पर खड़े धारा 207 एमवी एक्ट के 24 दोपहिया वाहनो(आधार मुल्य 58500/- रुपये) की नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही की गई । नीलामी में वाहनो की सर्वोच्च बोली श्री अवनीश कुमार पुत्र पीताम्बर सिंह निवासी ग्राम मौजम्मपुर जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा 75,000/- रुपये में लगाई गई तथा अन्य 07 दोपहिया वाहनो(आधार मुल्य 17100/- रुपये था) की नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही की गई । नीलामी में वाहनो की सर्वोच्च बोली मौ० हारून पुत्र अब्दुल अनवार निवासी मेवानवादा थाना स्योहारा बिजनौर जनपद बिजनौर ने कुल 31000/-रुपये लगाई गई ।

गठित टीम का विवरण –

1. उपजिलाधिकारी नगीना जनपद बिजनौर ।
2. क्षेत्राधिकारी नगीना जनपद बिजनौर ।
- 3.थानाध्यक्ष नगीना मय टीम जनपद बिजनौर ।